न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद स0 : 632 सन 2022

अनवान :–

1. इन्द्राज गोदारा पुत्र हरपतराम गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गुलाबी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. मैनादेवी पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजेश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सत्यदेव गोदारा पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. उर्मिला पुत्री कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्री महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सिलोचना पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. मन्जू पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. विक्रम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. सत्यवीर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/08/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 113/112 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 179/160 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी के पिता हरतपतराम के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 398/559 की कुल 4.3010हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खता संख्या 64/64 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,9 ,12 ,13 व महावीर पुत्र हरपतराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त हो चुका है हरपतराम के पुत्र महावीर , रामस्वरूप , विमला , कालुराम का देहान्त हो चुका है इसप्रकार हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसा सजरा खानदान के अनुवार वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा दो खातो में हरपतराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज भी जो चुकी है तथा महावीर के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि हरपतराम व उसके पुत्रो के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 वादी की महावीर , विमला , रामस्वरूप की पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/माता/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7, 9, 12 ,13 के नाम से दर्ज भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे हरपत पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है हरपत के वारिसान उनके पुत्री/पुत्रो महावीर , रामस्वरूप , बिमला , कालुराम का भी देहान्त हो चुका है इसलीये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें से दो खातो में भूमि उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हो चुकी है दो खातो में हरपत के नाम दर्ज है के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि अपने भाईयो/माता/पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार एव बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 113/112 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 179/160 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी के पिता हरतपतराम के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 398/559 की कुल 4.3010हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खता संख्या 64/64 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,9 ,12 ,13 व महावीर पुत्र हरपतराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त हो चुका है हरपतराम के पुत्र महावीर , रामस्वरूप , विमला , कालुराम का देहान्त हो चुका है इसप्रकार हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम दर्ज भूमि के जायज वारिसा सजरा खानदान के अनुवार वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 है जो हरपतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा दो खातो में हरपतराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज भी जो चुकी है तथा महावीर के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वाद भूमि हरपतराम व उसके पुत्रो के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने हक हिरसा के अनुसार पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 वादी की महावीर , विमला , रामस्वरूप की पुत्र/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/माता/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अत: वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 113/112 की कुल 0.2530हैक व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 179/160 की कुल 0.2530हैक भूमि वादी के पिता हरतपतराम के नाम व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 398/559 की कुल 4.3010हैक व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खता संख्या 64/64 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 ,9 ,12 ,13 व महावीर पुत्र हरपतराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज हरपत पुत्र जैसारा के नाम से दर्ज थी हरपत एव उसके पुत्रों महावीर , रामस्वरूप , विमला , कालुराम के देहान्त होने के बाद उनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के हक हिस्सा की भूमि है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 113/112 की कुल 0.2530हैक ,व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 179/162 की कुल 0.2530हैक भूमि मृतक हरपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 398/559 की कुल 4.3010हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 9 ,12 ,13 ,मृतक महावीर का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 0.317हैक भूमि का वादी व 1.315हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब तथा 1.353हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला व 1.316हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 64/64 की कुल 3.0360हक भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 ,12 ,13 व मृतक महावीर का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 0.2530हैक भूमि का वादी , 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब , 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 0.759हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वाद शिर्षक के अनुसार नाम व पता दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. इन्द्राज गोदारा पुत्र हरपतराम गोदारा जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 मोहनी पत्नी महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. मदन पुत्र महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. गुलाबी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. मैनादेवी पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. राजेश पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. सत्यदेव गोदारा पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. उर्मिला पुत्री कालुराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्री महावीर जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. सिलोचना पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. मन्जू पुत्री विमला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. विक्रम पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
13. सत्यवीर पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 632 सन 2022 निर्णय दिनांक– 05/08/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 केएनएन के खाता संख्या 113/112 की कुल 0.2530हैक ,व रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 179/162 की कुल 0.2530हैक भूमि मृतक हरपत के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 398/559 की कुल 4.3010हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 9 ,12 ,13 ,मृतक महावीर का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 0.317हैक भूमि का वादी व 1.315हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब तथा 1.353हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 अकेला व 1.316हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है व रोही मौजा चक 2 केएनएन के खाता संख्या 64/64 की कुल 3.0360हक भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 ,12 ,13 व मृतक महावीर का नाम कलमजन किया जाकर पहले से दर्ज हिस्सा सहित 0.2530हैक भूमि का वादी , 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब , 1.0120हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 व 0.759हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वाद शिर्षक के अनुसार नाम व पता दर्ज किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/08/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner